



RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED
4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan, B.S. Road, Jaipur-302006
CIN:U15421RJ1945SGC000285

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

No. F-5/RSGSM/HO/2022-23/ **11765-770**

Dated:- **13/7/22**

Bid for Single source procurement under the RTPP Act-2012

To,
Shri Mohan Singh Shekawat (Retd. Accountant),
RSGSM,
Jaipur

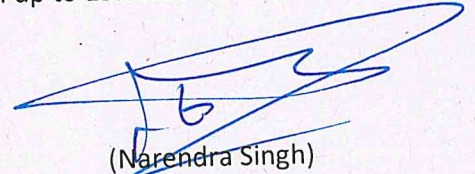
Sub : Invitation of proposals for services as consultant under single source procurement method as per clause 31 of RTPP Act, 2012 & Rule 17 of RTPP Rules, 2013.

With reference to subject cited above you are requested to send your offer for consultancy services related to accounts section & other issues of account & finance section for one year.

The above offer is sought in term of Section 31 of RTPP Act 2012 and Rule 17 of RTPP Rule 2013 will be applicable.

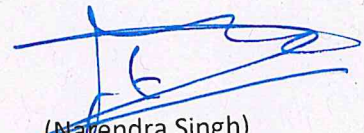
The offer can be submitted to General Manager, RSGSM up to 19.07.2022.

Enclose: Financial Offer.


(Narendra Singh)
Dy. General Manager
(Purchase/ A&P)

Copy to:

1. Financial Advisor, RSGSM, HO, Jaipur.
2. DGM (A&P), RSGSM, HO, Jaipur.
3. DGM (Purchase), RSGSM, HO, Jaipur.
4. DGM (P&S), RSGSM, HO, Jaipur.
5. Sr. Manager (F), RSGSM, HO, Jaipur.


(Narendra Singh)
Dy. General Manager
(Purchase/ A&P)



RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED
4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan, B.S. Road, Jaipur-302006
CIN:U15421RJ1945SGC000285



Financial offer

1. Name:

2. Address:

3. PAN :-

4. Ref No.

5. Financial offer: I have read and understand the job/ terms & conditions and agreed to

offer my proposal on remuneration of Rs in words

.....per month.

Signature



राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

कार्यालय टिप्पणी

पत्रावली क्रमांक : _____

श्री मोहन सिंह शेखावत लेखाकार (लेखा शाखा) के दिनांक 31.08.2017 को संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त होने उपरान्त कार्यालय आदेश 39480-483 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार कन्सलटेन्ट (लेखा) के पद पर 6 माह के लिए लेखा शाखा के निम्न कार्य सम्पादित किये जाने हेतु लगाया गया था :-

1. पैकिंग मैटेरियल जैसे पी.पी.सील्स, पेट एवं ग्लास नई बोतल (180 एम एल), लेबल्स, कोरोगेटेड बॉक्सेज, पुराने पक्के एवं बोतल, टेपरोल इत्यादि के गोदामों से प्राप्त प्रमाणित बिलों को क्रय आदेश एवं सप्लाई शिड्यूल अनुसार पास किया जाकर, सम्बन्धित मदिरालय की एडवाईज बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
2. धरोहर राशि लौटाये जाने हेतु सप्लाई शिड्यूल अनुसार मैटेरियल प्राप्त मात्रा की रिपोर्ट करना।
3. क्रय शाखा द्वारा जारी रिवाईज पेट पक्कों की दरों के सम्बन्ध में विवरण तैयार करना।
4. पैकिंग मैटेरियल सम्बन्धी ऑडिट कार्य करवाना इत्यादि। उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार, अन्य लेखा कार्य श्री शेखावत द्वारा सम्पादित किये जा रहे थे।

श्री मोहन सिंह शेखावत द्वारा पूर्व वर्षों में लेखा शाखा में उपरोक्त कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। अतः श्री शेखावत ने रु. 30000/- प्रति माह पर कार्य करने की सहमति प्रदान की है। अतः श्री शेखावत जी को पुनः 1 वर्ष की अवधि के लिए कन्सलटेन्ट (लेखा) लगाया जाना उचित होगा। कृपया इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कराने का श्रम करें। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय सलाहकार
महाप्रबन्धक

उपमहाप्रबन्धक (प्रशां एवं कार्मिक)

08/07/2022

वरि प्रबन्धक (वित्त)
RTPP के अन्तर्गत आती है।
सम्बन्धी है।

08/07/2022

08/07/2022

08/07/2022

08/07/2022

08/07/2022

08/07/2022